

कार्यालय, प्राचार्य रा० च० उ० राज० स्ना० महा० उत्तरकाशी । दिनांक :- 16 अगस्त 2024

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियाँ :-

1 - इन्सपायर अवॉर्ड छात्रवृत्ति :- इन्सपायर छात्रवृत्ति B.Sc प्रथम सेमेस्टर (Bio and Mathe group) में अध्ययनरत समस्त वर्गों (GEN/SC/ST/OBC व EBC) के छात्र-छात्राओं को व साथ ही स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को निरन्तर 05 वर्षों तक DST की गाइडलाइन के अनुसार प्रदान की जाती है (80000 रुपये प्रतिवर्ष) वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तराखण्ड बोर्ड से 85.20 % (426 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले) व CBSE तथा ICSE बोर्ड परीक्षा के टॉप 01 प्रतिशत (1%) में सम्मिलित (Approx more than 98%) विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हैं ।

इन्सपायर छात्रवृत्ति स्कीम (Inspire scholarship Scheme) हेतु आवश्यक दस्तावेज/ अर्हतायें :-

1. Passport size photograph (Mandatory)
2. Class X Mark Sheet or Certificate, for proof of Date of Birth. (Mandatory)
3. Class XII Mark Sheet (Mandatory)
4. Endorsement Form signed by the Principal of College/Director of Institute/Registrar of University (Mandatory)
5. Eligibility Note/Advisory Note if provided by the State/Central Board (Not Mandatory)
6. Certificate specifying Rank or Award in IIT-JEE/AIPMT/NEET/ KVPY /JBNSTS/ NTSE /International Olympic Medalists(if applicable)
7. Community/Caste Certificate (if applicable)
8. Any other supporting documents

(इन्सपायर छात्रवृत्ति स्कीम हेतु आवेदन प्रक्रिया वर्तमान सितम्बर माह से प्रारम्भ होगी ।)

2 - केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम:- केन्द्रीय छात्रवृत्ति उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा टॉप 20 प्रतिशत में सम्मिलित स्नातक प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत समस्त वर्गों (GEN/SC/ST/OBC व EBC) में से सम्पूर्ण राज्य से टॉप 308 छात्र व 308 छात्राओं को प्रदान की जाती है, साथ ही स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 05 वर्षों तक केन्द्रीय गाइडलाइन के अनुसार प्रदान की जाती है (स्नातक में 12000 रुपये प्रतिवर्ष व स्नातकोत्तर में 20000 प्रतिवर्ष) -

सत्र 2024 - 25 में B.A, B.Sc व बी० कॉम प्रथम सेमेस्टर में उत्तराखण्ड बोर्ड के Top 20 Percentile में सम्मिलित विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में, कला वर्ग - 70.20 % (351 या इससे अधिक अंक) वाणिज्य (Commerce) - 70.20 % (351 या इससे अधिक अंक)

विज्ञान वर्ग - 70.20 % (351 या इससे अधिक अंक) या इससे अधिक है, तथा CBSE व ICSE बोर्ड में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले केन्द्रीय छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे। प्राप्त करने वाले समस्त वर्ग Gen/SC/ST/OBC/EBC, जिनके Parents/अभिभावक की वार्षिक आय 4.5 लाख तक या इससे कम हो, आवेदन हेतु पात्र हैं।

अतः सामान्य/ अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (GEN/ SC/ST/ OBC/EBC से सम्बन्धित जिन छात्र- छात्राओं के उत्तराखण्ड बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में -70.20 % , कला वर्ग - 70.20 % व वाणिज्य में 70.20 % या इससे अधिक अंक हैं, वे <https://scholarships.gov.in> की केन्द्रीय स्कीम (Central scheme) के तहत आवेदन करेंगे।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (Central Sector Scheme for College and University Students) हेतु आवश्यक दस्तावेज/ अर्हतायें :-

- 1- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 2 - छात्र-छात्रा का नवीनतम फोटोग्राफ

- 3 - जाति प्रमाण पत्र
- 4- इंटरमीडिएट/ गत वर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका की छाया प्रति
- 5 - फीस रसीद की छाया प्रति
- 6 - महाविद्यालय द्वारा निर्गत बोनाफाईड प्रमाणपत्र
- 7 - बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 8 - हाईस्कूल उत्तीर्ण अंकपत्र/ प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 9 - छात्र छात्रा का बोनाफाईड प्रमाणपत्र (फॉर्म भरते समय ऑनलाइन निकलेगा)
- 10 - आधार कार्ड की छाया प्रति
- 11 - तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (450000 (4.5 लाख) या इससे कम) (नवीन शासन आदेशानुसार आय प्रमाण पत्र 01 वित्तीय तक वर्ष वैध)

(केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (Central Sector Scheme for College and University Students) हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है , अध्यावधि तक प्राप्त निर्देशानुसार आवेदन की अन्तिम तिथि - 31 /10/2024)

3- राज्य स्कीम (पोस्ट मेडिक स्कालरशिप) अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति :- B.A, B.Sc व बी० कॉम प्रथम सेमेस्टर (जिनका प्रतिशत केन्द्रीय सूची से कम है),स्नातक प्रथम , द्वितीय व तृतीय व स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष के SC/ST/ OBC/ व EBC के समस्त विद्यार्थी जिनके Parents या अभिभावक की वार्षिक आय SC/ST के लिए 250000 से कम तथा OBC/EBC हेतु 100000 से कम हो, आवेदन हेतु पात्र हैं।

अतः SC/ST/OBC व EBC से सम्बन्धित समस्त छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - <https://scholarships.gov.in> पर राज्य स्कीम (State Scheme) के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय यूजर आई0 डी0 व पासवर्डअपने पास सुरक्षित रखें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) हेतु आवश्यक दस्तावेज/ अर्हतायें :-

- 1- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 2 - छात्र छात्रा का नवीनतम फोटोग्राफ
- 3 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
- 4- इंटरमीडिएट/ गत वर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका की छाया प्रति
- 5 - वर्तमान अध्ययनरत कक्षा की फीस रसीद की छाया प्रति
- 6 - महाविद्यालय द्वारा निर्गत बोनाफाईड प्रमाणपत्र
- 7 - बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 8 - हाईस्कूल उत्तीर्ण अंकपत्र/ प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 9 - छात्र /छात्रा का बोनाफाईड प्रमाणपत्र(फॉर्म भरते समय ऑनलाइन निकलेगा)
- 10 - आधार कार्ड की छाया प्रति
- 11 - तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (250000 (2.5 लाख) से कम) (नवीन शासन आदेशानुसार आय प्रमाण पत्र 01 वित्तीय तक वर्ष वैध)

अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (OBC/EBC हेतु आवश्यक दस्तावेज/ अर्हतायें :-

- 1- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 2 - छात्र छात्रा का नवीनतम फोटोग्राफ
- 3 - अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र
- 4- इंटरमीडिएट/ गत वर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका की छाया प्रति
- 5 - वर्तमान अध्ययनरत कक्षा की फीस रसीद की छाया प्रति
- 6 - महाविद्यालय द्वारा निर्गत बोनाफाईड प्रमाणपत्र
- 7 - बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 8 - हाईस्कूल उत्तीर्ण अंकपत्र/ प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 9 -छात्र /छात्रा का बोनाफाईड प्रमाणपत्र(फॉर्म भरते समय ऑनलाइन निकलेगा)
- 10 - आधार कार्ड की छाया प्रति
- 11 - तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (100000 (01 लाख) से कम) (नवीन शासन आदेशानुसार आय प्रमाण पत्र 01वित्तीय तक वर्ष वैध)

राज्य स्कीम (पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप) हेतु आवेदन प्रक्रिया गतिमान समाज कल्याण विभाग द्वारा संभवतः सितम्बर माह से प्रारम्भ की जाएगी)

4 - राज्य स्कीम (पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप) अथवा अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति :- B.A, B.Sc व बी० कॉम प्रथम सेमेस्टर (जिनका प्रतिशत केन्द्रीय सूची से कम है),स्नातक प्रथम , द्वितीय व तृतीय व स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष के मुस्लिम ,सिक्ख ईसाई,बौद्ध,जैन,पारसी इत्यादि विद्यार्थी जिनके Parents या अभिभावक की वार्षिक आय 200000 से कम हो, आवेदन हेतु पात्र हैं

अतः अल्पसंख्यक से सम्बन्धित समस्त छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - <https://scholarships.gov.in> पर राज्य स्कीम (State Scheme) के तहत शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय यूजर आई0 डी0 व पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखें।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दपोस्ट मेट्रिक स्तावेज/ अर्हतायें :-

- 1- स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 2 - छात्र छात्रा का नवीनतम फोटोग्राफ
- 3 - जाति प्रमाण पत्र
- 4- इंटरमीडिएट/ गत वर्ष उत्तीर्ण अंकतालिका की छाया प्रति
- 5 - वर्तमान अध्ययनरत कक्षा की फीस रसीद की छाया प्रति
- 6 - महाविद्यालय द्वारा निर्गत बोनाफाईड प्रमाणपत्र
- 7 - बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 8 - हाईस्कूल उत्तीर्ण अंकपत्र/ प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 9 -छात्र /छात्रा का बोनाफाईड प्रमाणपत्र(फॉर्म भरते समय ऑनलाइन निकलेगा)

10 - आधार कार्ड की छाया प्रति

11 - तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (20 0000 (2 लाख) से कम) (नवीन शासन आदेशानुसार आय प्रमाण पत्र 01वित्तीय तक वर्ष वैध)

(अल्पसंख्यक वर्ग छात्रवृत्ति (पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप) हेतु आवेदन प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग द्वारा संभवतः सितम्बर माह से प्रारम्भ की जाएगी)

5 - विद्या ज्योति छात्रवृत्ति स्कीम (Vidya Jyoti Scholarship Scheme) :- विद्या ज्योति छात्रवृत्ति पर्वतीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त वर्गों (GEN/SC/ST/OBC व EBC) की उन छात्राओं को दो वर्षों तक [www. vidyasaarathi.co.in](http://www.vidyasaarathi.co.in) पर उपलब्ध शर्तों के अनुरूप (35000 रुपये) प्रदान की जाती है, जिन्होंने इन्टरमीडिएट की परीक्षा 75 % अंकों के साथ व स्नातक न्यूनतम 60 % अंकों से उत्तीर्ण किया हो। आवेदन हेतु विस्तृत विवरण www.vidyasaarathi.co.in पर उपलब्ध होगा (35000 रुपये) -

(विद्या ज्योति छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया पोर्टल खुलने पर प्रारम्भ होगी, जिसकी सूचना, सूचना पट्ट व व्हाट्स एप ग्रुपों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।)

6 - पोस्ट ग्रेजु एट इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति स्कीम (Vidya Jyoti Scholarship Scheme) केवल स्नातकोत्तर करने वाली एकल छात्राओं (Single Girl Child) हेतु आवश्यक दस्तावेज/ अर्हतायें :-

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में अध्ययनरत समस्त वर्गों (GEN/SC/ST/OBC व EBC) में से सम्पूर्ण राज्यों से 3000 छात्राओं को दो साल तक प्रदान की जाती है, आवेदन हेतु विस्तृत विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध होगा - (स्नातकोत्तर के दो वर्षों में 36200 रुपये प्रतिवर्ष) -

(पोस्ट ग्रेजु एट इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया पोर्टल खुलने पर प्रारम्भ होगी, जिसकी सूचना, सूचना पट्ट व व्हाट्स एप ग्रुपों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।)

7 - मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना :- शासकीय महाविद्यालयों/ राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक स्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से संकायवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र -छात्राओं को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 3000/-, 2000/- एवं 1500 तथा स्नातकोत्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र - छात्राओं को क्रमशः 5000/-, 3000/- और 2000/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। व साथ ही स्नातक स्तर पर न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 10% की सीमा तक प्रत्येक विद्यार्थी को ₹1500 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से निदेशालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रारम्भ की जाएगी, व छात्रवृत्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तत्पश्चात सूचना पट्ट पर चरूपा कर दी जाएगी।)

नोट- छात्र/छात्रा उपरोक्त में से केवल किसी एक स्कीम के तहत ही आवेदन कर सकेंगे।

छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य आर्थिक सहायता योजनाएं :-

1 - राज्य के मेधावी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना :- राज्य लोक सेवा आयोगसमूह को एवं कह संघ लोक सेवा आयोग समूह का एवं का एवं आर्म्ड फोर्सज के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को कोचिंग हेतु 50000 प्रति अभ्यर्थीके दर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 माह के भीतर आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं वंचित अभिलेखों के अनुसार साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा ।


राज्य के मेधावी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना हेतु अर्हतायें :-

- 1- उत्तराखंड राज्य का स्थाई या मूल निवास का प्रमाण पत्र
- 2 - स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में अवस्थित शासकीय/मान्यता प्राप्त, आशसकीय निजी शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।
- 3 - पिता /अभिभावक (परिवार) की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख से अधिक ना हो।
- 4- प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं वंचित अभिलेखों के साथ आवेदन महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना होता है ।
- 5 - राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी अन्य समक्ष योजना का लाभ न लिया हो का शपथ पत्र ।

2 - राज्य के एन0डी0ए0,ओ0 टी0 ए आई एन ए ए ए एफमें चयनित अभ्यर्थियों हेतु पुरस्कार योजना मेधावी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना :- राज्यजिन अभ्यर्थियों का चयन एनडीए इम ओट इन इस में हुआ हो तथा वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेवा में कार्यरत हो उक्तमें चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं वंचित अभिलेखों के अनुसारके साथ उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रस्तुत किया जाना होगा आवेदन पत्रों के निदेशालय स्तर पर प्रारंभिक जांच के उपरांत प्रत्येक 6 माह में धनराशि शासन स्तर से निर्गत की जाती है

- 1- उत्तराखंड राज्य का स्थाई या मूल निवास का प्रमाण पत्र
- 2 - प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा धनराशि वापसकी जाएगी का शपथ पत्र।
- 3 - आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उत्तराखंड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं वंचित अभिलेखों के साथ आवेदन महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना होता है ।
- 5 - राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी अन्य समक्ष योजना का लाभ न लिया हो का शपथ पत्र ।

3 - मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना :- विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र - छात्राओं को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 50000/-, 30000/- एवं 15000/- एवं स्नातकोत्तर में विषयवार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र - छात्राओं को क्रमशः 5000/-, 3000/- और 2000/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी । व साथ ही स्नातक स्तर पर न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 10% की सीमा तक प्रत्येक विद्यार्थी को ₹1500 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।


16.8.2024
उच्च शिक्षा
राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तराखण्ड

